युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश

कामकाज को लेकर पटरियों को पार करते समय होने वाली दुर्घटनाएं चिंताजनक : वैष्णव

नई दिल्ली 26 मार्च. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल पटरियों पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है.

वैष्णव ने गुरुवार को यहां संबंधित अधिकारियों की कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां रेल पटरी के एक तरफ बस्ती है और दूसरी तरफ़ खेत, विद्यालय, श्मशान या अन्य उपयोगी तथा महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे स्थानों पर पुल बनाये जायें. उन्होंने अधिकारियों को देशभर में ऐसी रेल-पुलों का निर्माण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज को लेकर पटरियों को पार करते समय होने वाली

गुणवत्ता वाले पुल बनाएं अधिकारी : रेल मंत्री

रेल मंत्री ने अधिकारियों को ऐसी सुविधाजनक पुल बनाने को निर्देश दिया, जिससे रेल पटरियों पार करते समय होने वाली दुर्घटनाएं न हो और लोगों के लिए एक जीवनदायिनी विकल्प के रूप में उभरे. उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक आम आदमी साइकिल, मोटर साइकिल तथा कामकाज से जुड़ी अन्य चीजों को भी अपने साथ ले जा सके. इससे देशभर में पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और एक बड़ी आबादी के लिए वरदान साबित होगी. श्री वैष्णव ने अधिकारियों को अगले पांच से छह साल में देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करने का निर्देश दिया. रेलवे ने बताया कि रेल-पुल बनाने का यह निर्णय पिछले कई दिनों से अधिकारियों के साथ चली आ रही मंत्रणा के बाद लिया गया है.

केजरीवाल ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं

रामनवमी पर्व से भगवान श्रीराम के धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की मिलती है प्रेरणा

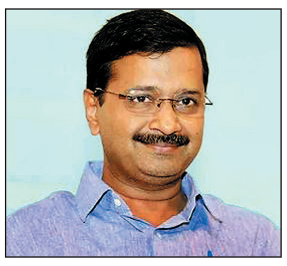

नई दिल्ली, 26 मार्च. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में भगवान श्रीराम का स्मरण करते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

केजरीवाल ने कहा कि यह पर्व मर्यादा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु श्रीराम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और देश में खुशहाली बनी रहे। उनका यह संदेश ऐसे समय में आया है जब देशभर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना हो रही है और लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह संदेश न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक एकता और सकारात्मकता का भी प्रतीक है, जो इस त्योहार की मूल भावना को मजबूत करता है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने भगवान श्रीराम से प्रार्थना की कि सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। केजरीवाल ने कहा, रामनवमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्रीराम आपकी हर मनोकामना पूरी करें। उनके इस संदेश में धार्मिक आस्था के साथ-साथ समाज के लिए सकारात्मक और आशावादी सोच भी झलकती है। रामनवमी का पर्व भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह दिन भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है. यह पर्व मर्यादा, धर्म और न्याय के प्रतीक श्रीराम के आदर्शों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संदेश देता है। केजरीवाल ने अपने संदेश में यही भावना दोहराते हुए कहा कि यह अवसर हमें समाज में भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कामना की कि देश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आए और सभी लोग सुरक्षित तथा समृद्ध जीवन जी सकें। देशभर में रामनवमी के अवसर पर धार्मिक आयोजन, पूजा-अर्चना और शोभायात्राएं आयोजित की जा रही हैं। लोग मंदिरों में जाकर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद ले रहे हैं.

आज का इतिहास

1668 - इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बंबई (अब मुंबई) को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा.

1898 - भारत में आधुनिक मुस्लिम शिक्षा के समर्थक, सर सैयद अहमद खान का निधन.

1899 - गुग्लिल्मो मार्कोनी ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय रेडियो प्रसारण किया.

1923 - भारत की दिग्गज मसाला कम्पनी एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का जन्म.

1961 - पहले विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत हुई.

1964 - हिमाचल प्रदेश के राजनीतिज्ञ एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म.

1977 - टेनेरीफ हवाई अड्डे पर दो बोइंग 747 विमानों की टक्कर में 583 लोगों की जान गई, जो सबसे भयानक विमान हादसा था.

हल्द्वानी में 60 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

नैनीताल. उत्तराखण्ड ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को बुधवार रात को बड़ी सफलता मिली है। नैनीताल विशेष अभियान समूह (एसओजी) और हल्द्वानी पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 203 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 60.90 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, 25 मार्च की रात को हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक महिला संदिग्ध दिखाई दी, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई.

नीतीश ने दी 810 करोड़ की योजनाओं की सौगात

- 494 करोड़ की लागत से 106 योजनाओं का शिलान्यास

बिहारशरीफ, 26 मार्च. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा जिले को 810 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी.

मुख्यमंत्री ने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में नालंदा जिले में बिहारशरीफ नगर निगम अवस्थित दीपनगर स्टेडियम में बने कार्यक्रम स्थल से रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर नालंदा जिले के लिए 316 करोड़ रुपये की लागत से 110 योजनाओं का उद्घाटन एवं 494 करोड़ रुपये की लागत से 106 योजनाओं का शिलान्यास किया. कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में नालंदा जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली और कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने बिहारशरीफ-रांची रोड के भरावपर में 84.61 करोड़ की लागत से निर्मित फ्लाईओवर का अनावरण कर लोकार्पण किया.

नये बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है : नीतीश

पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को कहा कि राज्य में नये बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कुमार ने आज नालंदा जिले के बिहारशरीफ नगर निगम अवस्थित दीपनगर स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले पांच वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है.

भारत ऊर्जा संकट के लिए तैयार : मनोहर

- घबराने की कोई जरूरत नहीं, सभी आपूर्ति सुचारू
- वैश्विक तनाव से पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित नहीं

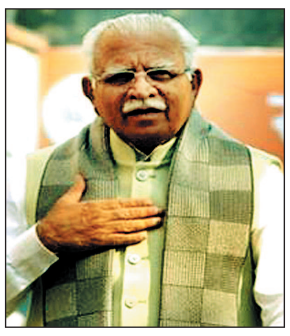

नई दिल्ली, 26 मार्च. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी संभावित ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति पर असर डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ने बताया कि भारत ने अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक सभी तैयारियां कर रखी हैं और देश में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने घरेलू उत्पादन और संसाधनों को मजबूत बनाया है। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और देश किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम है.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत किसी भी संभावित ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वैश्विक संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव से पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति स्थिर है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने बताया कि ऊर्जा आपूर्ति सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। हमारे पास पेट्रोल, एलपीजी और अन्य आवश्यक ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

चर्च ऑफ इंग्लैंड को मिली पहली महिला प्रमुख

लंदन, 26 मार्च. चर्च ऑफ इंग्लैंड ने डेम सारा मुलेली को कैंटरबरी की पहली महिला आर्चबिशप के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 1534 में चर्च की स्थापना के बाद से इस पद पर बैठने वाली वह पहली महिला हैं। यह समारोह बुधवार को कैंटरबरी कैथेड्रल में आयोजित किया गया।

इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ-साथ प्रिंस विलियम और वेल्स की राजकुमारी तथा उनकी पत्नी कैथरीन शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) की पूर्व नर्स रहीं मुलेली ने ऐतिहासिक दुर्व्यवहार के पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने और सुरक्षा तथा जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया.

NAME CHANGE

I, KALU SINGH CHHADIYA S/O RAMLAL R/O Gram Badarkha, Badarkha Po: Hatod, Dist: Indoe, Madhya Pradesh-453111, have changed the name of my minor son UAJVAL aged 13 Years and he shall hereafter be known as PRIYANSH CHHADIYA.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत
में विज्ञापन के माध्यम से

CHANGE OF NAME

I Mamta Patidar W/o Arpit Patidar R/o Mn111, ward n 09, patidar mohalla, vtc : sakhedi, District : Shajapur Madhya Pradesh, 465001, have changed my name to Vedika Patidar.

परिशिष्ट B - संख्यांक 3
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर
स्वयं उपसंजात होने के लिए समन (आदेश 5 का नियम 3)
एमजेसी / 702/2025
नरेन्द्र कुमार दुबे बनाम जेनेट किशोर मसीह
NEXT DATE : 21-04-2026
प्रेषिती- संतोष कुमार लायल तर्फे आममुख्त्यार अश्विन पात्रीकर पिताः कृष्णराव पात्रीकर (जिसे समन करना है) 12/36/22 ग्वालटोल चर्च रोड खेरवा कानपुर तर्फे अश्विन पिता कृष्णराव पात्रीकर नि. ईके स्कीम नं 54 इंदौर, INDORE, MADHYA PRADESH
नरेन्द्र कुमार दुबे ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 21- 04-2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन उन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। यदि दस्तावेज आपके अधिपत्य में नहीं है तो स्पष्ट करें की किसके अधिपत्य में हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **अमित सिंह सिसोदिया**
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
नोट - यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय को अवकाश पर होगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

परिशिष्ट B - संख्यांक 3
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर
स्वयं उपसंजात होने के लिए समन (आदेश 5 का नियम 3)
एमजेसी / 702/2025
नरेन्द्र कुमार दुबे बनाम जेनेट किशोर मसीह
NEXT DATE : 21-04-2026
प्रेषिती- [illegible] INDORE, MADHYA PRADESH
नरेन्द्र कुमार दुबे ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 21- 04-2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन उन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। यदि दस्तावेज आपके अधिपत्य में नहीं है तो स्पष्ट करें की किसके अधिपत्य में हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **अमित सिंह सिसोदिया**
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
नोट - यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय को अवकाश पर होगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

परिशिष्ट B - संख्यांक 3
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर
स्वयं उपसंजात होने के लिए समन (आदेश 5 का नियम 3)
एमजेसी / 702/2025
नरेन्द्र कुमार दुबे बनाम जेनेट किशोर मसीह
NEXT DATE : 21-04-2026
प्रेषिती- [illegible] INDORE, MADHYA PRADESH
नरेन्द्र कुमार दुबे ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 21- 04-2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन उन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। यदि दस्तावेज आपके अधिपत्य में नहीं है तो स्पष्ट करें की किसके अधिपत्य में हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **अमित सिंह सिसोदिया**
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
नोट - यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय को अवकाश पर होगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

परिशिष्ट B - संख्यांक 3
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर
स्वयं उपसंजात होने के लिए समन (आदेश 5 का नियम 3)
एमजेसी / 702/2025
नरेन्द्र कुमार दुबे बनाम जेनेट किशोर मसीह
NEXT DATE : 21-04-2026
प्रेषिती- सुरेन्द्र कुमार पिता : कैलाश चंद्र (जिसे समन करना है) एफ- 17, न्यू पलासिया, इंदौर, INDORE, MADHYA PRADESH
नरेन्द्र कुमार दुबे ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 21- 04-2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आपको निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन उन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। यदि दस्तावेज आपके अधिपत्य में नहीं है तो स्पष्ट करें की किसके अधिपत्य में हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **अमित सिंह सिसोदिया**
तीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
नोट - यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय को अवकाश पर होगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय यशवंत मालवीय दशम जिला न्यायाधीश इन्दौर (म.प्र.)
(आदेश 22 नियम 4 (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908)
आर.सी.एस.ए. क्र. 2200067/2016
पेशी दिनांक 10.04.2026
बाबूलाल चौधरी..........वादी
विरुद्ध
श्रीमती स्नेहलता बोर्डिया..........प्रतिवादी
प्रेषितीः श्रीमती स्नेहलता बोर्डिया, निवासी- 9/3ओल्ड पलासिया, जिला- इन्दौर (म.प्र.)
वादी ने न्यायालय में यह वाद संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु संस्थित किया है। वाद लंबित रहने के दरमियान प्रतिवादी स्नेहलता बोर्डिया पति स्व. श्री नवरतन बोर्डिया की मृत्यु दिनांक 06.11. 2016 को हो चुकी है। वादी की जानकारी अनुसार प्रतिवादी का कोई भी वारिसान नहीं होने से प्रकरण में आदेश 22 नियम 4 (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रक्रिया किया जाना है। यदि प्रतिवादी का कोई भी विधिक वारिसान हो तो इस न्यायालय में नियत तारीख 10.04.2026 को दिन में 11 बजे आवेदन का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान् प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप इस समन्स मे नियत दिनांक कों अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज, जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है, तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात (हाजिर) नही होंगें, तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। दिनांक 10.04.2026 को किसी भी कारण से आकस्मिक अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस पर प्रकरण में सुनवाई की जावेगी।
यह आज तारीख 26.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
यशवंत मालवीय
दशम जिला न्यायाधीश इन्दौर (म. प्र.)

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp@fci.gov.in
क्र. S&C/15/RTC/ NIT/2026/08 दिनांक: 27.03.2026
निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।
महाप्रबंधक (क्षेत्र)

ऐक्सिस बैंक लिमिटेड
गिरवी रखी गई परिसंपत्ति स्वर्ण आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
उधारकर्ता को विशेष और सामान्य रूप से जनता को यहां सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खातों में सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी एक्सिस बैंक द्वारा की निम्न शाखाओं में आयोजित की जानी है।
नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने सुरक्षा के प्रति बैंक के पक्ष में सोने के गहने (गोल्ड लोन सुविधा) की गिरवी के एवज एक्सिस बैंक लिमिटेड से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया है। उधारकर्ताओं/ गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं जो उधारकर्ताओं/गारंटरों को गोल्ड लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। जैसा कि उधारकर्ता /गारंटर बकाया ऋण राशि चुकाने में विफल रहे हैं, बैंक गिरवी आभूषणों की नीलामी करने के लिए विवश है और **27.04.2026** को प्रातः 11.00 बजे जहां है जैसा है, जैसा है जितना है में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की नीलामी बिक्री का प्रस्ताव रखा गया है। नीलामी आयोजित की जाएगी।
उधारकर्ताओं और बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है।

उधारकर्ता का नाम	ऋण खाता क्रं.	बकाया राशि (₹)	पुनः सूचना दिनांक	कुल वजन	शुद्ध वजन
शाखा का नाम : बड़वानी (म.प्र.)					
शुभम राठौड़	XXXXXXXXXXX7869	946044	12-02-2026	182.170	154.550
जानकी बाई	XXXXXXXXXXX5725	422623	09-02-2026	86.160	70.700
नारायण लच्छेटा	XXXXXXXXXXX2298	405843	23-02-2026	84.000	80.200
विपुल शर्मा	XXXXXXXXXXX9545	81612	16-02-2026	13.750	12.000
शाखा का नाम : बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर(म.प्र.)					
अनिल सिंह सिकरवार	XXXXXXXXXXX5009	2173836	19-12-2025	367.600	362.400
शाखा का नाम : देवास (म.प्र.)					
गौरव जोशी	XXXXXXXXXXX4574	1569594	19-02-2026	227.700	212.000
सुरेश सिंह तंवर	XXXXXXXXXXX5801	62330	10-01-2026	14.400	13.800
निकिता जायसवाल	XXXXXXXXXXX0452	53066	10-01-2026	8.200	7.900
श्रवण देवड़ा	XXXXXXXXXXX2345	39603	24-02-2026	8.500	7.700
शाखा का नाम : लसूड़िया मोरी, इंदौर (म.प्र.)					
रामप्रसाद	XXXXXXXXXXX7540	1309934	09-02-2026	227.200	196.000
भूपेन्द्र सिंह यादव	XXXXXXXXXXX4272	66754	19-12-2025	11.500	11.100
रघुवीर सिंह	XXXXXXXXXXX5144	43182	27-10-2025	7.400	7.100
आरती	XXXXXXXXXXX5364	27557	27-10-2025	4.900	4.800
शाखा का नाम : रतलाम (म.प्र.)					
सुरैया अली	XXXXXXXXXXX4014	1698539	19-12-2025	290.800	239.300
शाखा का नाम : सनावद, खरगोन(म.प्र.)					
सौरभ गर्ग	XXXXXXXXXXX9709	1747488	09-02-2026	223.000	215.000
जगदीश चन्द्र तंवर	XXXXXXXXXXX4995	435967	09-02-2026	102.000	83.800

निविदा की नियम एवं शर्ते
बेस/रिजर्व प्राईस नीलामी के दिन/तिथि को निविदाकर्ताओं को दिया जाएगा, जिस पर नीलामी बोली पर विचार किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित निविदा फॉर्म में बोली/प्रस्ताव को केवल बोली लगाने के लिए माना जाएगा।
अपूर्ण बोली प्रपत्र/निविदा अमान्य मानी जाती है और अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी।
नियम और शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज उपरोक्त शाखा से एकत्र किए जाएंगे।
27.04.2026 को कार्य अवधि के दौरान निविदा दस्तावेज विधिवत संबंधित शाखा के अधिकारी को सौंपे।
नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
उक्त संपत्तियों को "जैसा है वैसा है", "जैसा है वैसा है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं है" आधार पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है।
बैंक उक्त संपत्ति के संबंध में मानक, शुद्धता और/या किसी अन्य देय राशि, करों, यदि कोई हो, के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में बैंक द्वारा नीलामी तिथि पर निविदाएं खोली जाएंगी, जो उपर दिए गए दिन और समय के अनुसार मौजूद रहने का विकल्प चुन सकती हैं, अन्य बातों के साथ, उनके संबंधित प्रस्तावों को बढ़ाने/संशोधित करने के लिए।
शाखा का नाम उपर उल्लेखित है। नीलामी की तारीख 27.04.2026
एक बार प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव/निविदा वापस नहीं ली जा सकती और यदि बोली किसी विशेष लेख/संपत्ति/आभूषण के लिए एकल बोली/प्रस्ताव है, तो बोलीदाता राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
यदि विशेष लेख/संपत्ति/आभूषण के लिए एक से अधिक बोली हैं, तो बोली लगाने वाले के बीच अंतर-से बोली लग जाएगी और उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
बोलीदाता को सभी केवाईसी दस्तावेज यानि पैन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पता प्रमाण आदि प्रस्तुत करने चाहिए।
बोलीदाता को वैध ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर जमा करना चाहिए
बैंक अपने विवेकाधिकार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
उक्त संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न किसी विवाद/मतभेद को केवल मुंबई में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन किया जाएगा।
स्थान: मध्यप्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी एक्सिस बैंक लिमिटेड**

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन
छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन
(Online) निविदा आमंत्रण सूचना
विज्ञप्ति क्र. / 533/ Workshop / E-tender/2026 उज्जैन दिनांक :- 26/03/26
निम्नांकित कार्य के लिए (Online) निविदा क्रमांक 2025_UAD_417294_4 आंमत्रित की जाती हैं, तथा टेन्डर फार्म राशि रु.5,000 /- रहेगा।
निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 16.04.2026 समय 18:00 ऑनलाईन एवं समस्त दस्तावेज Submissionकरने की अंतिम दिनांक 16.04.2026 समय 18:00 रहेगी।
विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टेंडर फार्म का मूल्य	अर्नेस्टगनी रु.	समयावधि
1	2	3	4	5	6
1	For various types of oil operations owned by UMC	50,00,000/-	5,000/-	37,500/-	365 दिवस

कार्यपालन यंत्री, वर्कशॉप
नगर पालिक निगम उज्जैन

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)
ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233
निविदा विज्ञप्ति क्र.: 147/ सिविल/25-26
अल्प निविदा आमंत्रण
दिनांक: 24.03.2026
केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR Date 08-11-2025/ NON SOR/BUILDING, DATE 02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_493785_1	स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 हेतु झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 32 के अन्तर्गत विद्यालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना। (द्वितीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹13,64,459/-	₹2,000/- ₹10,300/-	02-04-2026 6.00 PM 06-04-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।
कार्यपालन यंत्री
(जनकार्य विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
रतलाम धानमंडी शाखा
74 धानमंडी, रतलाम, म.प्र.
परिशिष्ट IV-ए [नियम 8(6) एवं 9(1) देखे]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
संपत्ति विवरण हेतु QR कोड स्केन करें।
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना
आम लोगों को और विशेष रुप से ऋणीओं, जमानतदारों एवं बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं। जिनका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **सांकेतिक आधिपत्य** ले लिया गया है, उन्हें ''जहां है जैसा है'' और '' जो कुछ भी है'' के आधार पर **30.04.2026,** गुरुवार **को दोप. 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक** ई-नीलामी की जाना है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम जमा राशि का उल्लेख नीचे किया गया है।

क्र.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	वसूल की जाने वाली राशि (खर्चो को छोड़कर)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशी
1	**आवेदक:** 1. श्री जाहिद हुसैन मंसूरी (खाता 326506680000052) 2. श्री रज़ा मंसूरी (खाता 326506170000093), **सह-आवेदक:** 1. श्रीमती शाहनाज. बी मंसूरी (खाता 326506680000052), **जमानतदार : 1. श्री जाहिद हुसैन मंसूरी (खाता 326506170000093)** **सभी का पता:** मकान नं. 15 के दक्षिणी भाग पर म्यू. नं. 15 चंद्र भोलेनाथ मंदिर से नाहरपुरा मस्जिद के बीच शहर सराय, रतलाम	मकान नं. 15 के दक्षिणी भाग पर म्यू. नं. 15 चंद्र भोलेनाथ मंदिर से नाहरपुरा मस्जिद के बीच शहर सराय, रतलाम, मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल 849.25 वर्गफुट, संपत्ति मालिक: श्री ज़ाहिद हुसैन मंसूरी, **संपत्ति की चर्तुसीमा ::** उत्तर: मोहम्मद सलीम के उक्त मकान का शेष भा, दक्षिण: समसुद्दीन का मकान, पूर्व : गली, पश्चिम: निकास एवं रोड़ **(सांकेतिक कब्जा)**	Rs. 18,31,024.79 as on 16.12.2025	Rs.90,95,000/- Rs.9,09,500/- Rs.90,950/-

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथी : नीलामी के अंतिम समय से पहले ईएमडी जमा कर ईएमडी राशि को संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप करना होगा। यह सूचित किया जाता है कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए ईएमडी राशि को पहले ही जमा कर दें एवं संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप कर दें।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अर्थात **(www.unionbankofindia.co.in)** पर दिए गए लिंक **"https://baanknet.com"** का संदर्भ लें एवं सेवा प्रदाता **पीएसबी एलायंस की वेबसाइट 'https://baanknet.com'** पर जाएं। रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी हेतु ई-मेल करें **support.BAANKNET@psballiance.com** उक्त तालिका में दिया गया सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदान किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटी या भूल के लिए प्रधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेगा। सफल बोलीकर्ता को सफल बोली राशि कि 25% राशि सम्पत्ति की नीलामी के अगले कार्य दिवस तक की समय अवधि में जमा करनी होगी, शेष 75% राशि नीलामी समाप्ति से 15 दिन में जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई राशि/राशियाँ जब्त कर ली जाएंगी और विक्रय की गई संपत्ति के प्रति चूककर्ता क्रेता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और बैंक उस सम्पत्ति को पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उक्त नीलामी **https://baanknet.com** के माध्यम से कि जाएगी अतः इच्छुक बोलीकर्ता को अपना पंजीयन अपने मोबाईल नं. तथा ईमेल आइडी का प्रयोग करते हुए करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने/स्थगित करने या ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का प्रधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है।
नोट: कृपया इस नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार के भार, न्यायालय आदेश या अन्य विवरण के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट एवं बैंकनेट पोर्टल देखें।
स्थान : इन्दौर
दिनांक : 26.03.2026
ह/- प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत 30 दिवस विक्रय हेतु वैधानिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में समझा जाएगा।